न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 177 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 26.07.2018

1. कालु पिता कजोड जाति पूर्बिया गाडरी निवासी खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. गोमा पिता कजोड जाति पूर्बिया गाडरी निवासी खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. देवीलाल पिता गोपी जाति पूर्बिया गाडरी निवासी खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती अणछी बेबा गोपी जाति पूर्बिया गाडरी निवासी खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 76/2015 अंतिम निर्णय दिनांक 12.11.2016
अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2018

उपस्थित– 1. रतनलाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. चम्पालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 4

निर्णय **दिनांक 07.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र बंटवाडा आराजीयात मौजा खारखन्दा तहसील गंगरार की खाता सं. 30 मे अंकित आराजी नम्बर 171, 347,1840,1841,1842,1843,1844 कुल किता 7 कुल रकबा 2.38 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे पेश किया। जिसको अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.11.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया व

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

दिनांक 12.11.2016 को अंतिम निर्णय पारित किया व दिनांक 16.04.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 12.11.2016 व डिक्री दिनांक 16.04.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील म्याद बाहर होने से अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी अपीलान्ट ने अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व न्यायोचित होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने मौजा खारखन्दा की खाता सं. 30 मे दर्ज आराजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलान्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये। पत्रावली तामील मे विचाराधीन थी। दिनांक 08.06.2016 को बिना सूचना पत्र जारी किये प्रकरण लोक अदालत मे नियत किया गया जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/3 हक व हिस्से की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। शेष हक व हिस्सा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का रखते हुए बंटवाडा किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.06.2016 को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये बिना बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दिनांक 21.06.2016 को राजस्व कैम्प लोक अदालत खारखन्दा मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुने बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का फर्द बंटवाडा करते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का हिस्सा संयुक्त रखा जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि यद्यपि अपीलान्ट प्रतिवादी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही हुए हो परन्तु विचारण न्यायालय मे उनकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया फिर भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेन्ट वादीगण का 1/3 व बकाया आराजीयात अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के रखी है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे कमिश्नर के द्वारा जो फर्द बंटवाडा प्रस्तुत हुआ है वह हक व हिस्से के अनुसार व कब्जे के अनुसार बनाया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि वह कैम्प मे गये थे। यदि राजीनामा नही किया तो अपनी ओर से जवाबदावा पेश कर सकते थे। यदि जवाबदावा पेश नही किया है तो उनकी सहमति मानते हुए अपील खारीज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे बंटवाडे का वादपत्र अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 30.03.2016 को नियत थी, जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1,3,4 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नही हुए जिससे उक्त प्रतिवादीगणो के पुनः सम्मन नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित हुआ जिसमे आगामी तारीख पेशी 13.05.2016 नियत हुई। उक्त दिनांक को अपीलान्ट सं. 1 की तामील नही हुई थी और न ही अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी लोक अदालत मे उपस्थित हुआ। अपीलान्ट सं. 2 लोक अदालत मे नोटिस की पालना मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा नही बनाया जाकर अपने अधीनस्थ भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया जिसमे पटवारी हलका के हस्ताक्षर नही है व फर्द बंटवाडा के साथ जो तरमीम नक्शा मूर्तिब किया गया उस पर भू-अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर नही है। फर्द बंटवाडा अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 12.11.2016 को अंतिम निर्णय पारित पारित किया गया, जिसकी कोई डिक्री मूर्तिब नही की गई व करीब 16 माह व्यतीत होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने डिक्री मूर्तिब किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को सुने बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.11.2016 के निर्णय की पालना मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को बिना सुने दिनांक 16.04.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री मूर्तिब की है। उक्त निर्णय व डिक्री के पूर्व कमिश्नर के द्वारा जो फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया गया उसमे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही होना पाया जाता है न ही उक्त फर्द बंटवाडा पक्षकारान की उपस्थिति मे मूर्तिब किया गया है। उक्त फर्द बंटवाडा विधिसंगत नही होने से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 12.11.2016 व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ध्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण सं. 76/2015 अंतिम निर्णय दिनांक 12.11.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 की पालना मे उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा, बंट्वाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंट्वाडा अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर उभय पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुनकर विधिवत् अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ